भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2291
05.08.2024 को उत्तर के लिए

पारिस्थितिकीय संतुलन को बनाए रखने हेतु कदम

2291. श्री खलीलुर रहमान:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि संपूर्ण देश के पर्वतीय केन्द्रों में पर्यटन गतिविधियों में वृद्धि के कारण जलवायु परिवर्तन अधिक हो रहा है;
(ख) क्या भूस्खलन जैसी घटनाओं में व्यापक अवसंरचनात्मक और पर्यटन संबंधी विकास की घटनाएं इसमें सहायक हो रही हैं;
(ग) सरकार द्वारा पर्वतीय क्षेत्र में पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है ताकि उत्तराखंड के जोशीमठ में हुई घटना जैसी घटनाएं फिर से न हो; और
(घ) विगत पांच वर्षों के दौरान भूस्खलन के कारण हुई जान-माल की हानि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन)

(क) और (ख) हिल स्टेशनों की वहन क्षमता से परे अनियमित पर्यटन उनके पारिस्थितिक संतुलन को खराब करता है और ऐसे हिल स्टेशनों की संवेदनशीलता को बढ़ा सकता है। बड़े क्षेत्र में वनों और वनस्पति को हटाना, प्राकृतिक जल प्रवाह पैटर्न में बदलाव, ढलानों पर अधिक भार, अवैज्ञानिक उत्खनन आदि सहित बड़े पैमाने पर अवसंरचना और पर्यटन से संबंधित विकास पहाड़ी क्षेत्रों को, विशेषतः भारी वर्षा और भूकंप के दौरान, कटाव और भूस्खलन के प्रति अधिक प्रवण बना सकते हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई), खान मंत्रालय द्वारा आपदा के बाद किए गए भूस्खलन संबंधी अध्ययनों से पता चला है कि मानवीय हस्तक्षेप प्राकृतिक पर्यावरण को खराब करता है और भूस्खलन की घटनाओं में वृद्धि की आशंका को बढ़ाता है।

(ग) भारत सरकार के साथ-साथ विभिन्न राज्य सरकारों ने पहाड़ी क्षेत्रों में पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए कई उपाय किए हैं, जिनमें अनुसंधान और विकास संबंधी पहलें, अवसंरचना के विकास के लिए कड़े नियमों का कार्यान्वयन, वनीकरण संबंधी कार्यकलाप, जैव विविधता संरक्षण उपाय, संधारणीय जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान, जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन के संबंध में रणनीति और कार्य योजना तैयार करना आदि शामिल हैं।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा स्थापित 'जी.बी. पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान' भारतीय हिमालयी क्षेत्र (आईएचआर) में जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए वैज्ञानिक ज्ञान को आगे बढ़ाने और एकीकृत प्रबंधन कार्यनीति विकसित करने का प्रयास करता है। मंत्रालय आईएचआर के मूल्यों और पारिस्थितिक, प्राकृतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक-आर्थिक पूंजीगत संपत्तियों की संधारणीयता एवं वृद्धि का समर्थन करने के लिए राष्ट्रीय हिमालयी अध्ययन मिशन (एनएमएचएस) को भी कार्यान्वित करता है। इसके अलावा, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (एनएपीसीसी) के तहत उल्लिखित आठ मिशनों में से दो, नामतः राष्ट्रीय हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र संधारणीयता मिशन (एनएमएसएचई) और राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन संबंधी सामाजिक सूचना मिशन (एनएमएसकेसीसी) पारिस्थितिक अध्ययन के लिए समर्पित हैं और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) द्वारा कार्यान्वित किए जाते हैं।

मंत्रालय ने पारिस्थितिकी, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से संधारणीय तरीके से स्थानीय समुदायों के लिए आय और अवसर पैदा करते हुए प्रकृति और वन्यजीव संरक्षण की बेहतर समझ को बढ़ावा देने के लिए 'वन और वन्यजीव क्षेत्रों में संधारणीय पारि-पर्यटन संबंधी दिशानिर्देश, 2021' भी तैयार किए हैं।

(घ) विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त गृह मंत्रालय द्वारा संकलित सूचना के अनुसार वर्ष 2019-20 से वर्ष 2023-24 के दौरान जल-मौसम संबंधी आपदाओं से हुए नुकसान का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

अनुबंध

राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान जल-मौसम संबंधी आपदाओं के कारण हुई क्षति/नुकसान का ब्यौरा

राज्यसंघ / राज्य क्षेत्र	2019-20				2020-21				2021-22				2022-23				2023-24			
	मानव मृत्यु (सं.)	पशु मृत्यु (सं.)	क्षतिग्रस्त मकान/झोंपड़ियां (सं.)	प्रभावित फसली क्षेत्र (लाख हे.)	मानव मृत्यु (सं.)	पशु मृत्यु (सं.)	क्षतिग्रस्त मकान/ झोंपड़ियां (सं.)	प्रभावित फसली क्षेत्र (लाख हे.)	मानव मृत्यु (सं.)	पशु मृत्यु (सं.)	क्षतिग्रस्त मकान/ झोंपड़ियां(सं.)	प्रभावित फसली क्षेत्र (लाख हे.)	मानव मृत्यु (सं.)	पशु मृत्यु (सं.)	क्षतिग्रस्त मकान/ झोंपड़ियां (सं.)	प्रभावित फसली क्षेत्र (लाख हे.)	मानव मृत्यु (सं.)	पशु मृत्यु (सं.)	क्षतिग्रस्त मकान/ झोंपड़ियां (सं.)	प्रभावित फसली क्षेत्र (लाख हे.)
आंध्र प्र.	-	-	-	-	50	10790	18537	8.81	61	3261	7720	2.38	7	291	13573	0.07	39	462	5808	2.68
अरूणाचल प्र.	7	23	377	-	19	809	707	0.28	6	18	98	0.02	23	49	1045	0.001	9	14	134	0
असम	101	250	140440	2	149	393	57931	2.67	13	-	2163	0.1	200	2043	202214	1.15	65	1671	3805	0.59
बिहार	133	80	45355	2.61	30	125	10789	7.41	70	96	9535	7.06	70	-	140	0.37	518		250	-
छत्तीसगढ	15	96	1246	0.018	61	858	14962	-	16	279	1986	-	95	533	1445	0.005	114	272	2200	-
गोवा	2		540	-	2	-	114	-	3	16	3402	0.001	1	-	88	-	8	-	290	-
गुजरात	195	848	5318	-	215	1019	7638	-	67	8683	129497	1.49	10	120	1470	0.83	236	5148	30718	1.33
हरियाणा	7		1	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	47	2982	4686	2.16
हिमाचल प्र.	86	555	2940	-	44	84	1307	0.24	119	509	171	0.06	42	940	2551	0.08	449	21351	15525	0.76
कर्नाटक	91	59600	115792	9.35	104	1841	40028	14.32	70	797	30765	11.35	127	1289	28365	9.95	119	798	9864	0.22
केरल	125	829	30039	0.36	128		5672		144	152	9770	0.85	76	161	2216	-	80		2745	-
मध्य प्र.	674	1700	51830	60.47	212	1469	42536	6.68	127	1540	70776	1.06	284	997	6646	-	201	357	2997	-
महाराष्ट्र	253	4230	109714	4.17	215	5814	297013	11.28	322	2201	46166	2.41	206	4301	3592	-	146	207	467	-
मणिपुर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53	-	-	-	-	-	-	-
मेघालय	23		37771	-	32	263	2374	-	2	20	1556		27	167	1681	0.12	26	27	2115	0
मिजोरम	3		1523	-	-	-	350	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5		212	0
नगालैंड	19	5	1458	-	9	1	1030	-	2	3503	948	0.17	10	14077	1957	-	8	5	2001	0
ओडिशा	१३	136	5139	1.49	38	64	81592	1.8	19	4632	28929	1.82	11	229	9693	1.36	4	30	3674	0.16
पंजाब	20	615	2618	1.51	16	92	837	1.23	18	38	90	0.04	22	203	1888	0.83	77	63649	7101	1.66
राजस्थान	126	314	27284	23.92	-	-	-	-	51	1556	36957	6.47	91	184	25		70	1048	6854	-
सिक्किम	6	1304	485	-	18	134	1432	0.02	3	51	1098	0.02	8	126	1013	0.002	64	1431	3083	0
तमिलनाडु	25	70	1158	-	12	1783	11421	4.63	128	6516	48510	0.83	16	508	435	1.53	78	18597	20277	2.67
तेलंगाना	-	-	-	-	52	390	4384	2.39	-	-	-	-	39	1574	14858	-	19	605	5193	0.61
त्रिपुरा	8	15	44963	0.014	5	4	11650	-	6	33	1796	-	१३	1	2476	-	35	-	6660	-
उत्तर प्र.	166	297	33986	8.3	72	62	6798	1.08	162	277	11335	3.61	53	68	3267	2.13	47	358	655	-
उत्तराखंड	80	400	814	0.003	68	530	1031		79	357	860	0.54	86	407	1218		109	661	3137	0.09
पश्चिम बंगाल	227	382	83787	0.08	354	23937	564814	5.71	98	9736	263381	3.48	-	-	-	-	-	-	-	-
दादरा एवं नागर हवेली	-	-	-	-	6	-	-	-	1	4	1204	0.00005	-	-	-	-	5	-	270	0
दिल्ली	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	10	11	-
जम्मू और कश्मीर	17	6	11	-	77	77	8	-	-	-	-	-	16	-	-	-	19	-	83	-
पुदुचेरी	-	-	-	-	1	656	186	0.02	2	71	347	0.04	-	999	16	-	1	-	19	0.46
कुल	**2422**	**71755**	**744589**	**114.295**	**1989**	**51195**	**1185141**	**68.57**	**1593**	**44346**	**709060**	**43.80105**	**1586**	**29267**	**301873**	**18.428**	**2616**	**119683**	**140834**	**13.39**

क्षति संबंधी उपर्युक्त विवरण एनईआरसी नियंत्रण कक्ष ,गृह मंत्रालय और ज्ञापन आईएमसीटी/प्रतिवेदन से प्राप्त स्थिति रिपोर्ट के अनुसार तैयार किया गया है